

प्ररूप सं. 26थ

[धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा 194छ,
धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194टक और नियम 31क देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन (जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च)
(वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही को वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण

1. (क) कर कटौती और संग्रहण खाता सं. (टैन) (घ) क्या इस तिमाही से पहली कोई विवरणी फाइल की गई है (हां/नहीं)
- (ख) स्थायी खाता सं. (पैन) (ङ) यदि (घ) का उत्तर हां है तो मूल विवरणी की पावती सं.
- [टिप्पण 1 देखिए]
- (ग) वित्तीय वर्ष (च) कटौतीकर्ता का प्रकार (टिप्पण 2 देखिए)

2. कटौतीकर्ता की विशिष्टियां :

(क) नाम	
(ख) यदि केंद्रीय/राज्य सरकार	
नाम (टिप्पण 3 देखिए)	
पीएओ/टीओ/सीडीडीओ का एआईएन कोड	
(ग) टैन रजिस्ट्रीकरण सं.	
(घ) पता	
फ्लैट नं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/लेन	
क्षेत्र/अवस्थान	
टाउन/नगर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन नं.	
अनुकल्पी टेलीफोन नं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	

3. कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की विशिष्टियां :

(क) नाम	
(ख) पता	
फ्लैट नं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/लेन	
क्षेत्र/अवस्थान	
टाउन/नगर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन नं.	
अनुकल्पी टेलीफोन नं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	
मोबाइल नं.	

4. काटे गए कर और केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त राशि के ब्यौरे :

क्रम सं.	कर	ब्याज	फीस (टिप्पण 5 देखिए)	शास्ति/ अन्य	चालान/बही समायोजन के अनुसार कुल जमा रकम (402+403+404+405) (टिप्पण 6 देखिए)	चालान (ग)/बही समायोजन (ख) द्वारा जमा करने की पद्धति (टिप्पण 7 देखिए)	बीएसआर कोड/प्ररूप सं 24छ की प्राप्ति सं (टिप्पण 8 देखिए)	चालान क्र.सं./ प्ररूप सं. 24छ का डीडीओ क्र.सं. (टिप्पण 8 देखिए)	चालान द्वारा जमा की गई रकम की तारीख/ वाउचर अंतरण की तारीख (टिप्पण 8 देखिए)	चालान का लघु शीर्ष (टिप्पण 9 देखिए)
[401]	[402]	[403]	[404]	[405]	[406]	[407]	[408]	[409]	[410]	[411]
1										
2										
3										
कुल										

5. संदत्त रकम और उस पर कटौतीदार से की गई कर कटौती के ब्यौरे (उपाबंध देखिए)

सत्यापन

मैं, सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान :

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

तारीख :

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम.....

टिप्पण :

1. गैर सरकारी कटौतीकर्ता के लिए पैन का उल्कथित किया जाना आवश्यक है। सरकारी कटौतीकर्ता की दशा में "पैन आवश्यक नहीं" उल्लिखित होगा।
2. कृपया सरकारी कटौतीकर्ता या गैर कटौतीकर्ता उपदर्शित करें।
3. केंद्रीय सरकार की दशा में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम उल्लिखित करें/राज्य सरकार की दशा में, कृपया राज्य का नाम उल्लिखित करें।
4. अनुकल्पी टेलीफोन नं. और अनुकल्पी ई-मेल में, कृपया ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन नं. और ई-मेल दिया जाए जिससे कटौतीकर्ता या कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की अनुपस्थिति में संपर्क किया जा सके।
5. धारा 234ड के अधीन विलंब से स्रोत पर कर कटौती का विवरण फाइल करते समय संदत्त फीस को, 'फीस' के पृथक् स्तंभ में उल्लिखित किया जाए।
6. स्तंभ 406 में, सरकारी डीडीओं, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा विप्रेषित रकम को उल्लिखित करेंगे। अन्य कटौतीकर्ता चालान द्वारा जमा की गई सही रकम को लिखेंगे।
7. स्तंभ 407 में, सरकारी कटौतीकर्ता "ख" लिखेंगे जहां स्रोत पर कर की कटौती, बही समायोजन द्वारा केंद्रीय सरकार के जमा में विप्रेषित की जाती है। अन्य कटौतीकर्ता "ग" लिखेंगे।
8. चालान/अंतरण वाउचर (सीआईएन/बीआईएन) विशिष्टियां, अर्थात् 408, 409, 410 वहीं होंगी जो कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध हैं।
9. स्तंभ 411 में, चालान पर यथा चिन्हित लघु शीर्ष उल्लिखित करें।

उपाबंध - स्रोत पर कर कटौती का कटौतीदार वार ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्ररूप 26 के क्र.सं. 04 की सारणी में प्रत्येक लाइन-मद के लिए पृथक् उपाबंध का प्रयोग करें)

.....(दिदि/मम/वववव) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान संदत्त रकम/जमा की गई रकम के ब्यौरे और स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

शाखा का बीएसआर कोड/प्ररूप 24छ की प्राप्ति सं.	
चालान जमा करने की तारीख/अंतरण वाउचर तारीख (दिन-मास-वर्ष)	
चालान क्र.सं./प्ररूप 24छ डीडीओ क्र.सं.	
चालान के अनुसार रकम	
उर्ध्वाधर रूप में स्तंभ 421 में कटौतीदारों के बीच आबंटनीय स्रोत पर कुल कर कटौती	
नीचे उल्लिखित कटौतीदारों के बीच आबंटनीय कुल ब्याज	

कटौतीकर्ता का नाम	
टैन	

क्र.सं.	कटौतीकर्ता द्वारा दिया गया कटौतीदार का संदर्भ सं. यदि उपलब्ध हो	कटौतीदार का कोड (01-कंपनी, 02-कंपनी से भिन्न)	कटौतीदार का पैना	कटौतीदार का नाम	सेक्शन कोड (टिप्पण 7 देखें)	संदाय या जमा की तारीख	संदाय या जमा रकम	कुल कर कटौती	कुल जमा कर	कुल कटौती	दर जिससे कटौती की गई है	कटौती न करने/ कम कटौती करने/ उच्च कटौती करने/ परिवाहक के कारण (टिप्पण 1-6 देखें)	धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/कम कटौती करने के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
1													
2													
3													
कुल													

सत्यापन

मैं,....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान :

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

तारीख :

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम.....

टिप्पण :

1. “क” लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे “कम कटौती की गई है” या “कटौती नहीं की गई है”।
2. “ख” लिखें, यदि धारा 197क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
3. “ग” लिखें, यदि कटौतीदार द्वारा पैना न प्रस्तुत करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है।
4. “म” लिखें, यदि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार श्रेसहोल्ड सीमा से नीचे संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
5. “न” लिखें, यदि परिवाहक होने पर कटौतीदार के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है। कटौतीदार का पैना आवश्यक है। [धारा 194ग(6)]

6. “य” लिखें, यदि धारा 197क(1च) के अधीन अधिसूचित संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।

7. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है :

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज	94क
194ख	क्रासवर्ड पजल्स और लाटरियों से जीती हुई रकम	94ख
194खख	घुड़दौड़ से जीती हुई रकम	4खख
194ग	संविदाकार और उप-संविदाकार को संदाय	94ग
194घ	बीमा कमीशन	94घ
194ङङ	राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अधीन जमा से संबंधित संदाय	4ङङ
194च	म्युचुअल फंडों या यूटीआई की यूनितों के पुनःक्रय की बाबत संदाय	94च
194छ	लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन, पुरस्कार आदि	94छ
194ज	कमीशन या दलाली	94ज
194झ(क)	किराया	4झक
194झ(ख)	किराया	4झख
194ञ	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस	94ञ
194टक	कतिपय स्थावर संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिकार का संदाय	4टक